और यह इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सहभागी संगठनों के साथ सहयोग, समन्वय की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जांच करेगा। और एक स्वीकार्य प्रक्रिया के जरिए पक्षकारों की सिफारिश करेगा।

कार्यदल व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग पर विद्यमान भारत रूसी अन्त-सरकारी आयोग के तहत कार्य करेगा।

प्रत्येक पक्षकार कार्यदल के एक सह अध्यक्ष को नामित करेगा और रूस सहयोग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समेकन करेगा।

वयावहारिक कार्य एक कार्य योजना के आधार पर किया जायेगा जिसके सहयोग के कार्यक्रमों के अनुसार दो वर्ष के अवधि के लिए तैयार किया जायेगा।

अनुच्छेद सात

बैद्धिक सम्पत्ति अधिकारों द्वारा सुरक्षित न की गई वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना जो वर्तमान करार के अंतर्गत सहयोग के परिणामस्वरूप संचय हो सकती है जिसमें वह सूचना शामिल नहीं है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या वाणिज्यिक तथा औद्योगिक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए खुलासा नहीं किया जा सकता, के बारे में जब तक दोनों देश सहमत न हो जाए, सहभागी संस्थाओं और संगठनों की सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार सामान्य चैनलों के जरिए किया जा सकता है।

सहयोग की वित्तीय शर्तें संयुक्ति परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रत्येक मामलें में पक्षकारों द्वारा विचारार्थ विषय होगा।

अनुच्छेद आठ

वर्तमान करार से अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों और करारों, जिसमें से एक पक्षकार हों के अन्तर्गत पक्षकारों के अधिकार एंव शर्तें प्रभावित नहीं होंगी।

अनुच्छेद नौ

यह करार इस पर हसताक्षर करने के तारीख से लागू हो जायेगा और पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगो और अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि दोनों में से कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को करार को समाप्त करने की तारीख से कम से कम छह मास पहले सूचित न करे।

इस करार की समाप्ति से वर्तमान करार के आधार पर उन संधियों और करारों के अंतर्गत उन गतिविधियों को पूरा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इसकी समाप्ति की तारीख तक पूरे न हुए हों।

अनुच्छेद दस

वर्तमान करार की व्याख्या या अप्रयोग से संबंधित विवादों, जिन्हें समन्वय के लिए उत्तरदायी एजेंसियों सहयोग संगठन के बीच सहमति की भावना से हल नहीं किया जा सकता है, को पक्षकारों के बीच परामर्श करके हल किया जायेगा।

अनुच्छेद ग्यारह

दोनों पक्षकारों की लिखित परास्परिक सहमति से इस करार को किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

मास्को में 30 जून, 1994 को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ जिसका प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रमाणिक है। मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगी।

भावी गणराज्य की सरकार की ओर से — रूस संघ की सरकार की ओर से

News-item captioned "Pollution Board and Ministry at Loggerheads"

4489. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Pollution Board and Ministry at loggerheads", appearing in "The Hindustan Times", dated the 12th March, 1997; and

(b) if so, the reaction of Government therto?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. The Technical and Scientific Officers 'Association of Central Pollution Control Board (CPCB) have submitted representations to the Ministry seeking introduction of Flexible Complementing Scheme (FCS) in the CPCB. The Ministry of Environment and Forests have taken up the matter regarding extending this scheme to the CPCB with the Department of Personnel and Training.

दिल्ली में दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध

4490. **श्री रामजीलाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में दो-पहिया तथा तीन-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से

पूर्व यातायात की सुविधा तथा सम्बद्ध लोगों को वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध कराएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) दिल्ली में मोटर-गाड़ियों से उत्पन्न प्रदूषण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने उठाया था और न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार से अगले दो-तीन सालों के लिए सभी प्रकार के मोटर वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध के बारे में लिए गए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए कहा है। तथापि, दुपहिया और तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दुपहिया अथवा तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी निर्णय को लोगों की परिवहन की आवश्यकता को देखते हुए सावधानीपूर्वक लागू किया जाना होगा।

Integrated development of Loktak Lake

4491. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received a request from Government of Manipur regarding funding the proposal of Integrated Development of Loktak Lake; and

(b) if so, the amount of the project and the present position of the request?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir.

(b) The out-lay of the project proposal was Rs. 108.93 crores. This was recommended by the Ministry of Environment and Forests and forwarded to the Inter Ministrial Empowered Committee (IMEC), for financial assistance under Special Problem Grants of the Tenth Finance Commission. Grants-in aid of Rs. 30.00 crores have been allocated to the Government of Manipur for development of Loktak Lake for the period 1996-2000.

Requirement of pollution clearance certificates

4492. DR. MOHAN BABU:
SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether industries are required to take pollution clearance certificates before setting up plants; and

(b) if so, how do they set-up plants that cause pollution, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. The polluting industries, in the first instance, are required to obtain consent to establish and thereafter consent to operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act , 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 from the respective State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees. The consent is granted subject to fulfillment of various conditions which are meant to keep the pollution under check. Pollution may be coused by the industries due to non-compliance of the stipulated conditions.

हिमाचल प्रदेश में वन अधिकारियों की स्रोत के अनुपात से अधिक कमाई

4493. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फारेस्ट सर्विस (आई एफ एस) के हिमाचल प्रदेश में तैनात कुछ अधिकारियों द्वारा अनुपात से अधिक धन एवं सम्पदा अर्जित करने के संबंध में जांच कराने के लिए सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़):